न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवा राम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :–350 / 2015

1–फूलचन्द पुत्र श्री रामेश्वर

2–सुरेश पुत्र श्री रामेश्वर

3–महेश पुत्र श्री रामेश्वर

4–श्रीमति बरजी पत्नि श्री रामेश्वर

समस्त जाति ब्राहमण निवासीगण ग्राम श्रीपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर राज0।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामनिवास पुत्र सुस्या उर्फ सुरजा जाति ब्राहमण निवासी–ग्राम श्रीपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर राज0।
2. नाथू लाल पुत्र श्री नाथू लाल

2 / 1. राजकुमार पुत्र स्व0 श्री नाथू लाल

2 / 2. मीनाक्षी पुत्री स्व0 श्री नाथू लाल

2 / 3. गोपाली पुत्री स्व0 श्री नाथू लाल

3. बाबू लाल पुत्र श्री भागीरथ

4–गणपत पुत्री श्री बंशी

4 / 1. राजकुमार पुत्र स्व0 श्री गणपत

5. महावीर पुत्र श्री बंशी
6. सीता राम पुत्र श्री बंशी
7. जगदीश पुत्र श्री बंशी
8. श्रीमति प्रभाती देवी पुत्री श्री बंशी

समस्त जाति ब्राहमण निवासी–ग्राम श्रीपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर राज0

9. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर, जिला जयपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर नायब तहसीलदार उप तहसील जाहोता जिला जयपुर राज0
11. उप पंजीयक उप पंजीयन कार्यालय जाहोता जिला जयपुर
12. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, जयपुर जिला जयपुर।
13. भूरी पुत्री श्री रामेश्वर
14. संतोष पुी श्री रामेश्वर
15. संतरा पुत्री श्री रामेश्वर
16. कजोड पुत्र श्री नानू राम
17. रामचन्द्र पुत्र श्री मोहन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

18. तीजा देवी पत्नि श्री मोहन

19. मंजू पुत्री मोहन

समस्त जाति ब्राहमण निवासीयान श्रीपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

– –रेस्पोडेंट्स–

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री महादेव राम जाट अपीलांटस की ओर से।

2– श्री सुरेश चाहर रेस्पोडेंट् सख्या 01 की ओर से।

3– श्री बाबू लाल शर्मा रेस्पो0 सख्या 16 की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :–23–02–2018

1– यह अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 26–06–2015 न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर प्रकरण सख्या 104/2014 अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम श्रीपुरा पटवार हल्का खन्नीपुरा तहसील आमेर खाता सख्या 61 खसरा नम्बर 47 रकबा 0.44 हैक्टेयर एवं खाता सख्या 6 खसरा नम्बर 39 रकबा 0.13 हैक्टेयर के संबंध में दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया।उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की होना तथा खाता सख्या 61 वादी का 1/9 तथा खाता सख्या 6 वादी का 1/18 भाग होना उक्त वाद–पत्र में अंकित करते हुए भूमि का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा गया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी सख्या 18 उपस्थित आये। प्रतिवादी सख्या 18 कजोड पुत्र नानूराम/रेस्पोडेन्ट सख्या 16 उपस्थित आये तथा इकबालिया जवाब दावा दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टस के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए प्रकरण में दिनांक 26–06–2015 को अपीलाधीन प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्ट्स द्वारा अपील प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26–06–2015 विधि एवं पत्रावली के तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पो0 संख्या 1 वादी द्वारा अपीलान्टस पर तामील कुनिंदा से मिली भगत करके तामील करवाई गई है। न्यायालय द्वारा केवल मात्र एक प्रतिवादी सख्या 18 के कथनों पर विश्वास करके निर्णय पारित किया गया है जबकि सभी पक्षकारों को सुन कर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धा है कि प्रत्येक पक्षकारान को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए परन्तु अपीलान्टस के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय मनमाना एवं आरबीट्रेरी होने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्टस द्वारा उक्त कथन कर अपीलाधीन निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 26–6–2015 को अपास्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो0 नं0 2/1 लगायत 2/3, नं0 3,4/1,5 लगायत 8, 13 लगायत 15, 17 लगायत 19 बावजूद तामील अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि अपीलाधीन निर्णय एकतरफा में तथा अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर दिये बगैर मात्र रेस्पो0 संख्या 16 के इकबालिया जवाब दावे के आधार पर पारित किया गया है जो कि निरस्त योग्य है। अतःअपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

6–अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 01 के द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मात्र विभाजन का दावा प्रस्तुत किया गया था तथा दावे में संयुक्त खातेदारी में स्थित कृषि भूमि में निहित पक्षकारान के हिस्से बाबत स्पष्ट कथन किया गया है। अपीलान्टस द्वारा वादग्रस्त भूमि के संयुक्त खातेदारी में होना तथा निहित हिस्सो के बारे में कोई आपत्ति नहीं की गई है। अपीलान्ट्स बावजूद तामील के अनुपस्थित रहने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है जो कि उचित है।अपीलान्ट्स द्वारा उक्त एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त किये जाने बाबत कोई चाराजोही नहीं की गई है। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील मात्र प्रकरण को विलम्बित रखने के उद्वेश्य से प्रस्तुत की गई है जो खारिज किये जाने योग्य है।अतःअपील खारिज की जावे।अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 16 द्वारा अपनी बहस में रेस्पो0 सख्या 1 की बहस का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि अपीलान्टस को समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा उचित तामील के उपरान्त एकतरफा कार्यवाही की गई है तथा उपस्थित पक्षकारान के मध्य सहमति के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

7– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। रेस्पो0 सं0 01 वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि के संयुक्त ख्शातेदारी में होने तथा अपने निहित हिस्से का स्पष्ट कथन करते हुए दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेघाज्ञा दिनांक 04–06–2014 को प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 27–06–2014 को प्रतिवादी सख्या 01 लगायत 07 एवं 18 की ओर से अधिवक्तागण उपस्थित हुए।अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 23–09–2014 में उल्लेख है कि प्रतिवादी सख्या 08 लगायत 17 के नोटिस बाद तामील प्राप्त हुऐ है परन्तु उपस्थित नहीं है इसलिये इनके विरूद्ध एकतरफी कार्यवाही की गई है।प्रकरण में प्रतिवादी सख्या 18 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ है तथा पत्रावली प्रतिवादी सख्या 01 लगायत 07 के जवाब हेतु दिनांक 23–09–2014 से दिनांक 30– 12–2014 तक लम्बित रही

है। दिनांक 30–12–2014 को प्रतिवादी सख्या 01 लगायत 07 का जवाब बंद किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 26–06–2015 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प राधाकिशनपुरा नियत की गई है।उक्त कैम्प हेतु दिनांक 18–06–2015 को नोटिस जारी किया जाना पत्रावली पर किये गये पृष्ठांन से जारी होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26–06–2015 को उपस्थित पक्षकारान की सहमति उपरान्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है।अपीलान्टस प्रतिवादी सख्या 08 लगायत 11 में से प्रतिवादी सख्या 8 फूलचन्द स्वयं द्वारा, प्रतिवादी सख्या 09 व 10 की ओर से उनकी माता बरजी देवी द्वारा तथा प्रतिवादी सख्या 11 बरजी देवी के स्वयं द्वारा नोटिस प्राप्त किया जाना अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध तामील शुदा नोटिसों से स्पष्ट होता है। अतः अपीलान्टस द्वारा ली गई यह आपत्ति की तामील कुनिंदा से मिलीभगत कर तामील करवाई गई है उचित नही है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके अनुपस्थित रहने पर उचित तौर पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है। अपीलान्टस द्वारा अपनी अपील में अन्य कोई विधिक आपत्ति नहीं की गई है। वादग्रस्त भूमि का संयुक्त खातेदारी में होना तथा उसमें निहित उभयपक्षकार के संयुक्त हिस्सों संबंधी कोई विवाद प्रकरण में नहीं है। ऐसे में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जो कि प्रारम्भिक डिक्री है तथा जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदारान में उनके निहित हिस्सो अनुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्डस तकासमा किये जाने के निर्देश दिये गये है वह न्यायोचित है।अपीलान्ट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि में निहित हिस्सों संबंधी कोई आपत्ति नहीं की गई है तथा मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर तकासमा करवाये जाने तथा कुर्रेजात प्रस्तावों पर यदि कोई आपत्ति हो तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष समुचित आपत्ति किये जाने का अवसर उनके पास उपलब्ध है। इन परिस्थितियों में प्रस्तुत अपील में कोई विधिक बल निहित नही होना तथा अपील मात्र प्रकरण को विलम्बित किये जाने के उद्वेश्य से प्रस्तुत किया जाना सिद्ध होता है। उपर्युक्त विवेचन से अपील अस्वीकार योग्य पाई जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 26–06–2015 यथाावत रखे जाने योग्य पाये जाते है।

8– अतः अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 26–06–2015 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9– निर्णय आज दिनांक 23–02–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर